42/18

तारीख/हुक्म–09.08.2018

उनवान– धीरज बनाम रतनलाल वगैरा

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि मे कब्जे काश्त मे नाजायज हस्तक्षेप करने पर आमादा हो रहे है। प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। कि आगामी पेशी दिनांक 10.09.2018 तक विवादग्रस्त आराजी खसरा 244/0.28, 347/0.12, 348/0.10, 349/0.16, 656/0.16, 657/0.30, 658/0.17, 659/0.17, 783/0.48, 784/0.30, 785/0.04 कुल किता 11 रकबा 2.28 है0 773/0.14, 383/1043/0.06, 384/1042/0.05, 396/1035/0.10 कुल किता 4 रकबा 0.33 है0 एवं 757/0.30, 758/0.27, 760/0.56, 761/0.08 कुल किता 4 रकबा 1.21 है0 ग्राम जौल तहसील टोडाभीम जिला करौली की भूमि मे प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि मे मौके की यथास्थिति आगामी सुनवाई तिथि तक बनाए रखे। आगामी सुनवाई तिथि पर दूसरे पक्ष को सुने जाने के उपरान्त स्थगन बाबत निर्णय किया जावेगा।

प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रक्रिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतिया रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा खर्चा हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथों से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार शीघ्र कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अन्तर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है, मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जायेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 10.09.2018 को पेश हो।

2832-33
9/8/18

अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

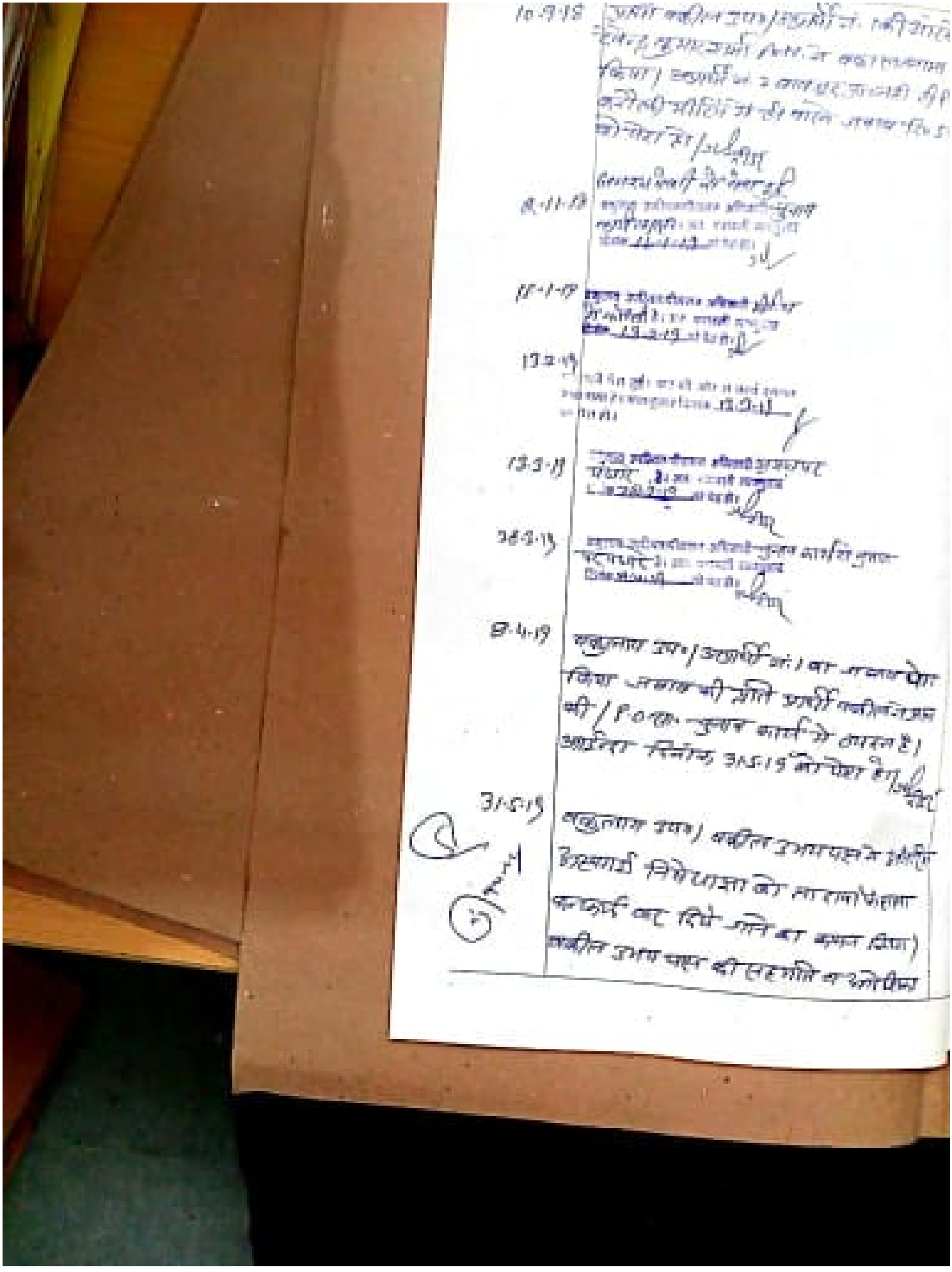

10.9.18 पत्रावली [illegible] / [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] किया। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पेश हो।
[illegible]

[illegible]

18.11.18 [illegible] [illegible] दिनांक 18.1.19 को पेश हो।

18.1.19 [illegible] [illegible] दिनांक 13.2.19 को पेश हो।

13.2.19 [illegible] दिनांक 13.3.19 को पेश हो।

13.3.19 [illegible] [illegible] दिनांक 28.3.19 को पेश हो।

28.3.19 [illegible] [illegible] [illegible] दिनांक [illegible] को पेश हो।

18.4.19 पत्रावली पेश। [illegible] [illegible] [illegible] किया [illegible] की प्रति [illegible] की। P.O. [illegible] कार्य से व्यस्त है। अतः दिनांक 31.5.19 को पेश हो।

31.5.19 पत्रावली पेश। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] को [illegible] कार्यवाही कर दिये जाने का [illegible] किया। [illegible] [illegible] की सहमति व [illegible]

फर्द अहकाम

व तहसीलदार किये गये हैं अप्रपक्षकारान को ग्राम जौंल की भूमि खसरा नम्बर 244/0.28, 347/0.12, 348/0.10, 349/0.16 656/0.16, 657/0.30, 658/0.17 659/0 783/0.48, 784/0.30, 785/0.04, 773/0.14, 383/1043, 384/1042/0.05 399/1035/0.10, 757/0.30, 758/0.27, 760/0.56, 761/0.08 पर मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए दावा के फैसला होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner